

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 6

उर्वरक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	83507.27	...	83507.27	73974.95	0.05	73975.00	138569.46	813.24	139382.70	83596.77	444.62	84041.39
<i>वसूलियां</i>	-2363.02	...	-2363.02	-2630.00	...	-2630.00	-4590.00	...	-4590.00	-4030.00	...	-4030.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	81144.25	...	81144.25	71344.95	0.05	71345.00	133979.46	813.24	134792.70	79566.77	444.62	80011.39
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.75	...	32.75	35.94	...	35.94	32.16	...	32.16	37.08	...	37.08
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. यूरिया सन्निडी												
2.01 देशी यूरिया के लिए भुगतान	43050.00	...	43050.00	38375.00	...	38375.00	74487.80	...	74487.80	43236.28	...	43236.28
2.02 यूरिया के आयात के लिए भुगतान	14049.00	...	14049.00	12050.00	...	12050.00	25049.62	...	25049.62	19550.00	...	19550.00
2.03 उर्वरक सन्निडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	6.67	...	6.67	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	11.40	...	11.40
2.04 वसूली	-2350.19	...	-2350.19	-2630.00	...	-2630.00	-4590.00	...	-4590.00	-4030.00	...	-4030.00
<i>निवल</i>	<i>54755.48</i>	...	<i>54755.48</i>	<i>47805.00</i>	...	<i>47805.00</i>	<i>94957.42</i>	...	<i>94957.42</i>	<i>58767.68</i>	...	<i>58767.68</i>
3. पोषक तत्व आधारित सन्निडी												
3.01 स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	15906.00	...	15906.00	14179.00	...	14179.00	23901.53	...	23901.53	12460.00	...	12460.00
3.02 आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	10429.00	...	10429.00	9296.00	...	9296.00	15015.37	...	15015.37	8260.00	...	8260.00
3.03 सिटी खाद के लिए भुगतान	33.85	...	33.85	29.00	...	29.00	72.98	...	72.98	42.00	...	42.00
<i>जोड़- पोषक तत्व आधारित सन्निडी</i>	<i>26368.85</i>	...	<i>26368.85</i>	<i>23504.00</i>	...	<i>23504.00</i>	<i>38989.88</i>	...	<i>38989.88</i>	<i>20762.00</i>	...	<i>20762.00</i>
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	81124.33	...	81124.33	71309.00	...	71309.00	133947.30	...	133947.30	79529.68	...	79529.68
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	0.01	0.05	0.06	...	813.24	813.24	0.01	444.62	444.63
अन्य												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. वसूली	-12.83	...	-12.83
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-12.83	...	-12.83	0.01	0.05	0.06	...	813.24	813.24	0.01	444.62	444.63
कुल जोड़	81144.25	...	81144.25	71344.95	0.05	71345.00	133979.46	813.24	134792.70	79566.77	444.62	80011.39
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	26356.02	...	26356.02	23504.00	...	23504.00	38989.88	...	38989.88	20762.00	...	20762.00
2. उद्योग	54755.48	...	54755.48	47805.00	...	47805.00	94957.42	...	94957.42	58767.68	...	58767.68
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	32.75	...	32.75	35.94	...	35.94	32.16	...	32.16	37.08	...	37.08
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	0.05	0.05	...	813.24	813.24	...	444.62	444.62
जोड़-आर्थिक सेवाएं	81144.25	...	81144.25	71344.95	0.05	71345.00	133979.46	813.24	134792.70	79566.77	444.62	80011.39
कुल जोड़	81144.25	...	81144.25	71344.95	0.05	71345.00	133979.46	813.24	134792.70	79566.77	444.62	80011.39

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	...	0.05	0.05	...	44.48	44.48	...	4.26	4.26	...	7.07	7.07
2. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	...	2.54	2.54	...	4.51	4.51	...	3.89	3.89	...	4.40	4.40
3. राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	...	467.56	467.56	...	190.20	190.20	...	218.43	218.43	...	267.86	267.86
4. ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	...	93.00	93.00	...	0.93	0.93	...	74.74	74.74	...	79.44	79.44
5. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	...	861.77	861.77	271.11	271.11	...	206.68	206.68
6. उर्वरक एवं रसायन ट्रावनकोर	...	23.01	23.01	50.00	50.00	...	340.00	340.00
7. मद्रास उर्वरक लिमिटेड	...	46.99	46.99	39.20	39.20	...	38.00	38.00
जोड़	...	1494.92	1494.92	...	240.12	240.12	...	661.63	661.63	...	943.45	943.45

1. **सचिवालय:** विभाग के सचिवालय के व्यय हेतु प्रावधान।

2.01. **देशी यूरिया के लिए भुगतान:** ये प्रावधान यूरिया के उत्पादन हेतु दुलाई सन्सिडी सहित उर्वरक नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत सन्सिडी से संबंधित हैं। यह सन्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरक उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित प्रतिलाभ दिलाने के लिए अभिप्रेत है। वितरण लाभ (मार्जिन) को घटाकर यथानिर्धारित रियायती मूल्य और वैधानिक रूप से

निर्मेवित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अंतर को सन्मिडी के रूप में अनुमत किया जाता है। सन्मिडी की मात्र रियायती मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है।

2.02. **यूरिया के आयात के लिए भुगतान:** चूंकि उर्वरकों की मांग पूरी करने हेतु स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है इसलिए कमी को पूरा किए जाने हेतु आयात की व्यवस्था की जाती है। शामिल लागत में विस्तृत रूप से आयातित उर्वरकों का मूल्य तथा उर्वरकों के प्रबंधन और वितरण की लागत होती है। किसानों को आयातित उर्वरकों का विक्रय मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत विनियमित होता है तथा इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सांविधिक रूप से विनियमित होते हैं। यह विक्रय मूल्य स्वदेशी उत्पादन के विक्रय मूल्य के समान है। उर्वरकों की किसानों को की गई विक्री से प्राप्त धनराशि और सरकार की आयात लागत के बीच का अंतर आयातित उर्वरक पर राजसहायता का द्योतक है।

2.03. **उर्वरक सन्मिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** यह प्रावधान ऑनलाइन बिलों पर सन्मिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए है।

3.01. **स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** किसानों के लिए रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों की विक्री पर पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरक विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान का प्रावधान। रियायत से बेहतर मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकतत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

3.02. **आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** किसानों को रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों की विक्री पर पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरकों के आयातकों/एजेंसियों को भुगतान का प्रावधान। रियायत से बेहतर मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकतत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

3.03. **सिटी खाद के लिए भुगतान:** शहरी कम्पोस्ट के विनिर्माताओं के लिए प्रस्तावित बाजार विकास सहायता हेतु प्रावधान किया गया है।

4. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** यह बजट सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर स्थित तीन यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार हेतु ब्याज मुक्त ऋण के रूप में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के लिए तथा हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, परियोजना और विकस (इंडिया) लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड द्वारा देय भारत सरकार के ऋणों, ब्याज और दंड ब्याज को बट्टे खाते डालने के लिए है।